

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.2(8)/रानिआ/लेखा/94/2025-26/594

दिनांक: 19.01.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत/नगर निकाय),
कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

विषय: — पंचायत/नगरपालिका चुनाव में हारे प्रत्याशियों की जब्त जमानत राशि एवं अवितरित राशि राजकोष में जमा कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंचायत राज संस्थाओं/नगर निकाय चुनावों के आम चुनाव वर्ष 2026 हेतु हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत राशि एवं अवितरित राशि राजकोष में जमा कराये जाने के संबंध में आयोग के परिपत्र क्रमांक: प. 2(8)/रानिआ/लेखा/94/2178 दिनांक 20.06.2019 (प्रति संलग्न) एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 2283 दिनांक 09.07.2019 (प्रति संलग्न) में अंकित दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे। उक्त परिपत्रों में आयोग द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त परिपत्रों में अंकित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करावे।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।


16.11.26

(राजेश वर्मा)

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(8)/रानिआ/लेखा/94/2025-26/595-601

दिनांक: 19.01.2026

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. महालेखाकार लेखा परीक्षा-I (आई.सी. II) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
5. पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।


16.01.26

(सुरेश चन्द्र मीणा)

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

135

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2178

परिपत्र

दिनांक : 20/06/19

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 56 एवं 58 में चुनाव में वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रावधान है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 6 के अनुसार राज्य सरकार की बकाया या अभिरक्षा के रूप में प्राप्त धनराशियां राज्य की संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा करायी जायेगी। आयोग के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिसमें जमानत राशि को लम्बे समय तक राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। ऐसी राशि को समय पर राजकोष में जमा नहीं कराना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय तक राजकीय जमाओं को राजकोष में जमा नहीं कराने से ऐसे धन के दुरुपयोग होने के साथ गबन की संभावना भी बनी रहती है।

प्रकरण में समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक: प. 2(8)लेखा/रानिआ/94/1415 दिनांक 05.04.2018 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

1 सरपंच चुनाव हेतु:-

- (i) सरपंच के चुनाव में अभ्यर्थिता वापस लेने (नाम निर्देशन पत्र वापस लेने) वाले तथा जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मतों के 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये हैं, उनकी जमानत राशि चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् अभ्यर्थी के प्रपत्र-1 में आवेदन करने पर वापस की जायेगी।
- (ii) सरपंच पद का परिणाम घोषित होने के तुरन्त पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) चुनाव लड़ने वाले उन अभ्यर्थियों, जो निर्वाचित नहीं हुए हैं तथा जिन्हें वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त हुए हैं, उनकी जमानत राशि जब्त करने के आदेश प्रपत्र-2 में जारी करेंगे।
- (iii) जब्त तथा अवितरित राशि का लेखा रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र-3 में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा तथा प्रपत्र-3 एवं जमा योग्य राशि, यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में जमा करायी जायेगी, तथा उक्तानुसार जमा राशि की रसीद प्रपत्र-3 की द्वितीय प्रति पर यात्रा प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को दी जायेगी।
- (iv) चुनाव ड्यूटी के लिए नियोजित लेखा कर्मी जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पदनाम से आदेश जारी करेंगे, उसका दायित्व होगा कि सरपंच के निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी के चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पूर्व उनसे प्रपत्र-1,2,3 तथा प्रपत्र-3 से अंकित राशि लिफाफा संख्या पी-42 में प्राप्त करेंगे।
- (v) यात्रा प्रकोष्ठ में प्राप्त जमानत राशि का लेखा मय नगद धनराशि, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी (पंचायत समिति रिटर्निंग अधिकारी) को भिजवाया जायेगा। सरपंच के चुनाव की जमानत राशि का लेखा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय (रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति) में संधारित किया जायेगा।
- (vi) वे अभ्यर्थी जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) से जमानत राशि वापस प्राप्त नहीं की है। वे 15 दिवस के अन्दर उपखण्ड कार्यालय से जमानत राशि प्रपत्र-1 में आवेदन करने पर प्राप्त कर सकेंगे किन्तु इस प्रकार 15 दिवस में जमानत राशि की मांग नहीं करने पर इस राशि को अवितरित मानते हुए विवरण प्रपत्र-3(अ) में तैयार किया जायेगा। संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त राशि जरिये चालान संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा कराई जायेगी।

2 पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हेतु:-

- (i) पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक जिला कलक्टर संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार एवं जिला कलक्टर/अतिरिक्त ऑफिसर (पंचायत समिति) (उपखण्ड अधिकारी) के कार्यालय में तथा जिला परिषद सदस्य की जमानत राशि का लेखा रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद (जिला कलक्टर) कार्यालय में संधारित किया जायेगा।
- (ii) जमानत राशि के लौटाने की प्रक्रिया सरपंच चुनाव हेतु बिन्दु संख्या 1 में वर्णित अनुसार ही होगी अर्थात् चुनाव में अभ्यर्थिता वापस लेने (नाम निर्देशन पत्र वापस लेने) वाले तथा जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मत के 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये हैं तथा जो निर्वाचित नहीं लौटायी जायेगी। (प्रपत्र-1)
- (iii) पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के पद का परिणाम घोषित होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति/जिला परिषद) कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त करने के आदेश परिणाम घोषित होने के 3 दिवस में प्रपत्र-2A में जारी करेंगे।
- (iv) वे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त निर्वाचनो में वैध मतों का 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये हैं, प्रपत्र-1 में आवेदन प्रस्तुत कर, रिटर्निंग अधिकारी पंचायत (उपखण्ड अधिकारी)/रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद (जिला कलक्टर) से जमानत राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे। प्रपत्र-1 में 15 दिवस में जमानत राशि की मांग नहीं करने पर इस राशि को अवितरित मानते हुए अगले 7 दिवस में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर) द्वारा जरिये चालान संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा कराया जायेगा। (प्रपत्र-4/प्रपत्र-5)
- (v) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त जिले का लेखा संधारण कर संकलित सूचना प्रपत्र-6 में 30 दिवस में राज्य निर्वाचन आयोग में प्रेषित की जायेगी तथा उक्त लेखों की जाँच अंकेक्षण के दौरान भी की जा सकेगी।

3 पंचायत चुनाव हेतु प्राप्त जब्त जमानत राशि को निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगा:-

- 0515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 101 - पंचायतराज अधिनियमों में अन्तर्गत प्राप्तियां
- 01 - पंचायत चुनाव प्राप्तियां

4 पंचायत चुनाव में प्राप्त अवितरित जमानत राशि निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगा:-

- 8443 - सिविल जमा
- 00 -
- 103 -
- 00 -

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 20/06/19

क्रमांक: प.2(8)लेखा/रानिआ/94/ 2179-84

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. नगर पालिका/पंचायत चुनाव शाखा/राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव 20.6.2019
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, राधियालय, जयपुर-302005)
email- secra@rajasthan.gov.in & secra@rajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2283

दिनांक : 9/07/19

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 22 में चुनाव में वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रावधान है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 6 के अनुसार राज्य सरकार की बकाया या अभिरक्षा के रूप में प्राप्त धनराशियां राज्य की संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा करायी जायेगी। आयोग के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिसमें जमानत राशि को लम्बे समय तक राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। ऐसी राशि को समय पर राजकोष में जमा नहीं कराना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय तक राजकीय जमाओं को राजकोष में जमा नहीं कराने से ऐसे धन के दुरुपयोग होने के साथ गबन की संभावना भी बनी रहती है।

प्रकरण में समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक: प.2(8)लेखा/रानिआ/94/1415 दिनांक 05.04.2018 का अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. नगर निकाय (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) चुनाव हेतु:-

- (i) नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थिता वापस लेने वाले तथा जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मतों के 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये हैं, उनकी जमानत राशि चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् 15 दिवस में अभ्यर्थी के प्रपत्र-1 में आवेदन करने पर वापस की जायेगी।
- (ii) वे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त निर्वाचनो में वैध मतों का 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये हैं, उनके द्वारा यदि बिन्दु सं. 1 में दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 1 में अभ्यर्थी द्वारा जमानत राशि की मांग नहीं करने पर इस राशि को अवितरित मानते हुए अगले 7 दिवस में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जरिये चालान संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा कराया जायेगा। (प्रपत्र-3)
- (iii) नगर निकायों के परिणाम घोषित होने के तीन दिवस में रिटर्निंग अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उन अभ्यर्थियों, जो निर्वाचित नहीं हुए हैं तथा जिन्हें वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त हुए हैं, उनकी जमानत राशि जब्त करने के आदेश प्रपत्र-2 में जारी करेंगे, तथा उक्त जब्त जमानत राशि को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी राजकोष में 7 दिवस में संबंधित बजट मद में जरिये चालान जमा करायेंगे।

- (iv) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त जिले का लेखा संधारण कर संकलित सूचना प्रपत्र-4 में 30 दिवस में राज्य निर्वाचन आयोग में प्रेषित की जायेगी तथा उक्त लेखों की जाँच अंकेक्षण के दौरान भी की जा सकेगी।

2. नगर निकाय चुनाव हेतु प्राप्त जब्त जमानत राशि को निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगा :-

- 0217 - शहरी विकास
60 - अन्य शहरी विकास योजनाएं
800 - अन्य प्राप्तियां
03 - विविध प्राप्तियां

3. नगर निकाय चुनाव में प्राप्त अवितरित जमानत राशि निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगा:-

- 8443 - सिविल जमा
00 -
103 -
00 -

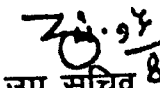

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(8)लेखा/रानिआ/94/ 2284-89

दिनांक : 9/07/19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. नगर पालिका/पंचायत चुनाव शाखा, लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


उप सचिव 8.7.2019
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर